

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

कमांक: प0 8(3)संसद/1990

जयपुर, दिनांक: 1-2-2018

:आदेश:

निर्देशानुसार श्री पृथ्वी राज, सेवानिवृत्त (RHJS) को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1996 के नियम 151 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत पे माईनस पेंशन के आधार पर सचिव, राजस्थान विधानसभा के रिक्त पद के विरुद्ध पुनर्नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी किये गये इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमशः दिनांक 03.02.2017 एवं दिनांक 02.08.2017 की निरन्तरता में, दिनांक 01.02.2018 से 3 माह की अभिवृद्धि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नांकित सहमति के आधार पर माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

“श्री पृथ्वी राज को पूर्व पुनर्नियुक्ति अवधि की निरन्तरता में आगामी 3 माह की अभिवृद्धि की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रशासनिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन पृथक से प्राप्त करेगा एवं यह सुनिश्चित करें कि श्री पृथ्वी राज की पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि से उनके समकक्ष अन्य अधिकारियों की पदोन्नति पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा।”

उक्त स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त सहमति आई.डी. संख्या आरबीजे/150/18 दिनांक 01.02.2018, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति क्रमांक एफ18000364 दिनांक 31.01.2018, कार्मिक विभाग की सहमति आईडी संख्या-101/कार्मिक/क-2 दिनांक 24.01.2018 एवं वित्त विभाग की सहमति आईडी संख्या 101800459 दिनांक 30.01.2018 के आधार पर प्रसारित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा को मा0 मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित अ.शा.पत्र क्रमांक: एफ.1(1033)संस्था/विस/2017/228 दिनांक 11.01.2018 के क्रम में।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4)/नियम /बजट विभाग, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
14. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनके अशा.टीप क्रमांक: मु.मं. -विशेषाधिकारी(एस)/विधि/जय/18/100162 दिनांक 11.01.2018 के क्रम में।
15. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


01-02-18

(कैलाश सिंगाडिया)
शासन उप सचिव